

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/ JU (PAA) 10) 3238
प्रति,

दिनांक... 4/8/2010

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषय :- महाविद्यालय स्तर पर एन्टी रेंगिंग कमेटी के गठन बाबत।

महोदय,

महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में रेंगिंग प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित हो जावे इस संदर्भ में। राष्ट्र शासन द्वारा भी रेंगिंग के रोकथाम विषयक निर्देश जारी किये गये हैं। अतः आप से निवेदन है कि महाविद्यालय स्तर पर वरिष्ठ प्राध्यापक के नियंत्रणाधीन एन्टी रेंगिंग कमेटी का गठन किया जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि महाविद्यालय में रेंगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहे।

कृपया कृत कार्यवाही से तत्काल जन सम्पर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
3/8/10
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, M0प्र0शासन भोपाल।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

जन सम्पर्क अधिकारी